




न्यायालय: माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर, जिला शिवपुरी
मिनिस्त्राफिसी शिवपुरी भू-रा/2017/2570
मूल प्रकरण क्रमांक 136v/90 पुनरीक्षण आवेदन

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक 9227-II/16

नाथू पुत्र श्री मनु यादव आयु- 60
वर्ष, व्यवसाय- कृषि निवासी- ग्राम
कारौंठा, तहसील करैरा, जिला
शिवपुरी, म०प्र० —आवेदक

ना. रवि-युगल (एस)
द्वारा आज दि 11/8/17
प्रस्तुत


1-8-17
राजस्व मण्डल म०प्र०

बनाम

1. शिवदयाल पुत्र श्री भंवरसिंह
निवासी- ग्राम कारौंठा, दिनारा,
जिला शिवपुरी, म०प्र०
2. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर महोदय
जिला शिवपुरी, म०प्र०

—अनावेदकगण


आवेदन-पत्र धारा 32(9) सहपठित धारा 43 भू-राजस्व संहिता
एवं धारा 151 सी०पी०सी० वास्ते रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक
1407-1/07 व उनवान नाथू बनाम शिवदयाल आदि के प्रकरण
को पुनः सुनवाई में लिये जाने एवं मूल पुनरीक्षण क्रमांक
136/v/1990 पुनरीक्षण आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत
रेस्टोरेशन आवेदन-पत्र क्रमांक 9227-II-16 के निरस्ती आदेश
दिनांक 08/02/2017 जोकि माननीय सदस्य श्री सुहैल अली
साहब द्वारा पारित किया गया, को निरस्त कर प्रकरण को पुनः
सुनवाई में लिये जाने बावत् ।

माननीय महोदय,



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 2510
 जिला
 प्रकरण क्रमांक.....
 ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.8.17	<p>डा. वेदक. काम की समूह युक्त उपस्थित। डा. वेदक. काम को रेसिप्टेशन कापेडन पा-सुना गया। डा. वेदक. काम द्वारा रेसिप्टेशन कापेडन लीका किमे जाने का निवेदन किया। डा. वेदक. काम का लयन वकाधान काठ होने से रेसिप्टेशन कापेडन कायम किया गया है। सुल प्रकाश को पुना नम्बर-पा किमे जाने के कादेश दिभे माने ली पुना प्रकाश इसी हल्-पा लकात किया गया है। प्रकाश कापिठ रिवाडी है।</p>	<p></p>

